

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।

पत्रांक : 946 /ओबरा/15 भू0ह0

दिनांक- 26-9-2018.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- रिलायंस 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे0 आरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आर्टिकल फाईबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या-2205/14-2-2018-800 (161)/2018 दिनांक-29.08.2018, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पृष्ठांकन संख्या-4857/11सी दिनांक-31.08.2018 तथा आपका पत्रांक-875/मी0/33 दिनांक-01.09.2018.

महोदय,

सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि रिलायंस जियो इन्फोकाम लि0 का पत्र संख्या-RJIL/OFC/NLD /WEST/ UP/OBRA /INTERCITY/EAST/UP/OBRA/FOREST/12-1 DAte 29.04.2017 द्वारा ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत (वाराणसी-शक्तिनगर) एस0एच0-5ए के किमी0 संख्या 87.00 से 115.00 के मध्य बायीं/दायी पटरी पर कुल लम्बाई 28.00 किमी0 एवं क्षेत्रफल 0.2901 हे0 तक सड़क के किनारे पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के भाग-2 के क0सं0 13 पर संस्तुति करते हुए, पत्रांक-3947/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-31.05.2017 द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव तीन प्रतियों में आपके कार्यालय में प्रेषित किया गया था, जिसे महोदय द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया है। उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या-2205/14-2-2018-800 (161)/2018 दिनांक-29.08.2018 द्वारा रिलायंस 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे0 आरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आर्टिकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने विषयक प्रकरण में आरक्षित वन भूमि में गैर वानिकी प्रयोग के दृष्टिगत स्पष्ट संस्तुति की मांग की गयी है।

अतएव रिलायंस 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे0 आरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आर्टिकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने हेतु वर्तमान में विद्यमान नियमों/आदेशों के तहत सक्षम स्तर से अनुमति जारी करने की पुनः संस्तुति की जाती है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय


(मूल चन्द)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

01c